

निज / 2823 / II / 15

1

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर शाखा रीवा म0प्र0



1. भैयालाल तिवारी तनय स्व0 रामप्रसाद तिवारी निवासी ग्राम सहेबा तहसील मनगवां हाल मुकाम श्रीयुत नगर अनन्तपुर रीवा जिला रीवा म0प्र0
2. नारायण प्रसाद तिवारी तनय स्व0 राम प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम सहेबा तहसील मनगवां हाल मुकाम एम.आई.जी. 26 पदमधर कालोनी ढेकहा रीवा जिला रीवा म0प्र0

बनाम

1. उमेश प्रसाद तनय जवाहरलाल तिवारी निवासी ग्राम सहेबा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0
2. जवाहरलाल तिवारी तनय रामप्रसाद तिवारी निवासी ग्राम सहेबा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0
3. केशव प्रसाद तिवारी तनय राम प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम सहेबा तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0
4. श्रीमती कुसुम तिवारी बेवा पत्नी गोविन्द प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम खुटेही जिला रीवा म0प्र0
5. नवीन तिवारी तनय गोविन्द प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम खुटेही जिला रीवा म0प्र0
6. प्रवीण तिवारी तनय गोविन्द प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम खुटेही जिला रीवा म0प्र0

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.04.2015 प्रकरण क्र0 39ए/6/2014-15 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य निम्न है :-

Amory

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.: 2823/11.15..... जिला शीवा.....

स्थान तथा दिनांक	मेयावाल कार्यवाही तथा आदेश उद्देश्य	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.12.15	<p>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार मिश्रा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया।</p> <p>प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं निगानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया। तर्कों एवं निगानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में विचारण -यायालय अनुविभागीय अधीनस्थ के प्रकरण क्रमांक 39/A-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक-30.4.15 का परिशीलन किया गया। परिशीलन से पया गया कि अधीनस्थ -यायालय द्वारा प्रकरण में अभी मात्र परिशीला अधिनियम धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया है तथा स्वीकार करने का कारण भी अंकित किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ -याया. द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रकरण अभी विचारण -यायालय में विचारण -धीन है। उपरोक्त स्थिति से यह भी स्पष्ट है कि उभयपक्ष को अपना पक्ष समर्पित करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में अधीनस्थ -यायालय के आदेश दिनांक-30.4.15 में किसी प्रकार</p>	

स्थान तथा दिनांक	मैयायाय कार्यवाही तथा आदेश उमेश	पक्षकारों एवं उपायों आदि के हस्ताक्षर
------------------	---	--

स्थितियों की आवश्यकता नहीं है।
 अतः विचारोपयुक्त उपरीक्षणकर्ता
 तथ्यों के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का
 पर्याप्त आधार न होने से निगामी अग्रस्य
 की जाती है। आदेश प्रति अधीनस्थ-याथावय
 को भेजा जावे। पक्षकार सूचित हो। ५०९०
 रि० हो।


 सदस्य 1.12.15

M